

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 480]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 19, 1941

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

मंगलवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 (अग्रहायण 19, 1941)

क्र. 19343-मप्रविस-15-विधान-2019.—मान. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा क्रिमिनल अपील क्रमांक 9444/2019, प्रहलाद लोधी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक 06 नवम्बर, 2019 द्वारा मान. न्यायालय, इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एम.पी./एम.एल.ए.), भोपाल द्वारा विशेष प्रकरण (पी.पी.एम.) क्रमांक 22/2019, दिनांक 30 दिसम्बर 2014 में पारित निर्णय दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 में दी गई सजा को दिनांक 07 जनवरी, 2020 तक का स्थगन प्रदान किये जाने तथा मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 6 दिसम्बर, 2019 में यह स्थगन यथावत् रखे जाने के परिणामस्वरूप तथा लोक प्रहरी विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग प्रकरण में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किये गये सिद्धांत (दिनांक 26 सितम्बर, 2018) के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 58-पवई से निर्वाचित सदस्य श्री प्रहलाद लोधी को मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 जुलाई, 2013 तथा संविधान के अनुच्छेद 191(1) (e) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 से विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित घोषित किये जाने तथा विधान सभा में एक स्थान रिक्त होने संबंधी मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 17215/मप्रविस-15/विधान/2019, दिनांक 02 नवम्बर, 2019, आगामी आदेश तक एतद्द्वारा निरस्त की जाती है.

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.